

जा.सं.म. ५/१५ भा.भा.सं.६

१३०
२०१७
१५/१०

विशेषकर अन्य पक्ष उपर दिनांक २०१७
से अब तक अखीला में तभी भवने
के अनेक अवसर दिने जाने के उपर
में तभी नहीं भवने में दिने
है बल्कि का प्रथम-पत्र ०९२५
के अन्तर्गत खानि विभाग
गता ही पत्रावली निम्न अनुसार
की वरत नष्ट है वरत है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

